तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-4-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-5-19 को पेश हो। रीडर	
15-5-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-5-19 को पेश हो। रीडर	
29-5-19	वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 10-6-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
2560 पत्रांक दिनांक 1-7-19 से मूल नामान्तरण संख्या 672 ग्राम अमरगढ़ तह० गंगापुर सिटी को भिजवाया गया 1-7-19	10-6-19 वकील उभयपक्ष उप०। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं० 672 दि० 5-6-14 ग्राम अमरगढ़ निरस्त किया जाता है। तह० गंगापुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दि० 14-5-14 के अनुसार पक्षकारों के मध्य नामान्तरकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/2019	15.03.2019	10-6-19

1. बुधसिंह पुत्र बक्तावरसिंह, राजपूत निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी

——अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर राज. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
3. श्रीमती निर्मला कंवर पत्नी लाल बहादुर, राजपूत निवासी अमरगढ

——रेस्पोन्डेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 5.6.2014 सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ बाबत नामन्तरकरण संख्या 672 ग्राम अमरगढ

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

श्री अवधेश त्रिवेदी, एडवोकेट, रेस्पो. न0 3 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि भूमि ख0न0 29 रकबा 37 एयर ग्राम अमरगढ अपीलार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अपीलार्थी ने इस भूमि मे से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट न0 3 श्रीमती निर्मला कंवर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.2014 विक्रय कर भूमि का कब्जा संभला दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का, गिरदावर एवं सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ ने गलत नामान्तकरण भर दिया तथा उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 672 दिनांक 5.6.2014 को स्वीकार कर दिया। वास्तव मे अपीलार्थी ने भूमि का 1/2 हिस्सा ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को बेचान किया था एवं 1/2 हिस्से का ही नामान्तकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी को गलत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 22.2.2019 को ऑनलाईन कम्प्यूटर जमाबंदी की नकल लेने से हुई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 672 ग्राम अमरगढ दिनांक 6.5.2014 निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि ख0न0 29 रकबा 37 एयर ग्राम अमरगढ की खातेदारी अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक मे हिस्सा 1/2 –1/2 अनुसरा दर्ज की जावे। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 672 दि0 6.5.2014 की प्रति, नकल विक्रय पत्र दिनांक 14.5.14की प्रति एवं नकल जमाबंदी संवत 2070–73 पेश की है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्य को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि नामान्तरकरण संख्या 672 दिनांक 5.6.2014 गलत रूप से भरा जाकर तस्दीक हुआ है क्योकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय किया है। अतः अपील स्वीकार अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि रेस्पोडेन्ट ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.2014 भूमि खरीद की है। इसके अनुसार भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.5.2014 की छायाप्रति के अनुसार अपीलार्थी बुधसिंह ने रेस्पोडेन्ट श्रीमती निर्मला कंवर को ख0न0 29 रकबा 37 एयर का 1/2 हिस्सा विक्रय किया है परन्तु नामान्तकरण संख्या 672 श्रीमती निर्मला कंवर के पक्ष मे सम्पूर्ण भूमि का दर्ज कर दिया है जो गलत है। अपीलार्थी इसे निरस्त करवाने का अधिकारी है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 672 दिनांक 5.6.2014 ग्राम अमरगढ निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 14.5.2014 के अनुसार पक्षकारो के मध्य नामान्तकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है उपरोक्त गलत नामान्तकरण दर्ज करने वाले पटवारी व इसकी जॉच करने वाले भू अभिलेख निरीक्षक के नाम से इस न्यायालय को अवगत करावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण इस निर्णय की प्रति सहित वापिस भिजवाया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.22 10:53:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: